

**ग्राम पंचायत करहा, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत करहा, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति अमिता अग्निहोत्री	01.04.14 से 22.01.16
2	श्री विपिन कुमार	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सवी कुमारी	01.04.14 से 20.08.16
2	श्री जगदीश चन्द	21.08.16 से 16.09.16
3	श्री संदीप कुमार	17.09.16 से 06.02.17
4	श्रीमति रजनी देवी	07.02.17 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत करहा, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	4.2	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	-
3	4.3	पंचायत निधि का संभावित दुरुपयोग	0.02
4	5	बजट प्राक्कलन तैयार न करने के फलस्वरूप	0.82

		अनियमित भुगतान	
5	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.09
6	7	अनुदान का उपयोग न करना	12.09
7	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	3.16
8	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	3.00
9	10	वर्ष 2014-15 में निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप हानि	0.05
10	12	स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने बारे	0.30

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत करहा, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 15.09.17 से 21.09.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	08/2014	11/2014
2015-16	05/2015	06/2015
2016-17	03/2017	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत करहा , विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 503(a) दिनांक 21.09.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या UMK 499934 (PNB) दिनांक 22.09.17 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया ।

4 वित्तीय स्थिति :-

सचिव, ग्राम पंचायत करहा, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर द्वारा परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत करहा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	20439	85623	106062	10000	96062
2015-16	96062	12084	108146	82110	26036
2016-17	26036	49428	75464	655	74809

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत करहा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	204454	1464530	1668984	1461438	207546
2015-16	207546	1306176	1513722	1095291	418431
2016-17	418431	1627946	2046377	837357	1209020

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹74809

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹1209020

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹1283081

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹2

अन्तर : ₹746

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, PNB -09075	74061
GEN-B, KCCB -61091	615400
13th & 14th FC, PNB -9066	591803
RAY, PNB- 38350	576
IAY, PNB -38341	1241
MNREGA, PNB -06722	0
कुल राशि	1283081

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹746 का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ वही एवं बैंक के अन्तिम शेष में ₹746 का अन्तर पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 503 दिनांक 20.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 09.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर ₹746 की वसूली करके दिनांक 09.10.17 को निधि खाता संख्या PNB-09075 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में पंचायत की रोकड़ वहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं रोकड़ वहियों को सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित करें तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

4.2 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना :-

पंचायत की रोकड़ वहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ वही, खाता – क (स्व स्रौतों से आय) में दिनांक 01.04.14 से 23.03.16 तक ₹2300 से ₹2545 हस्तगत रूप में रखी गई थी जो कि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) (₹1000) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 ₹0.02 लाख का संभावित दुरुपयोग :-

जांच में पाया की 13 वें वित्त आयोग से चैक संख्या 957127 दिनांक 29.04.14 द्वारा ₹17150 आहारित की गई थी, जिसमें से वाउचर संख्या 4,5 एवं 6 दिनांक 29.04.14 द्वारा प्रधान, उपप्रधान व पंचायत सदस्यों के पारिश्रमिक हेतु ₹15150 का व्यय किया गया था एवं शेष ₹2000 को पंचायत के खाते में जमा नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 503 दिनांक 20.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 09.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त ₹2000 की वसूली करके दिनांक 09.10.17 को निधि खाता संख्या PNB-09075 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

5 बजट प्राक्कलन तैयार न करने के फलस्वरूप ₹0.92 लाख का अनियमित भुगतान :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 एवं 2015-16 में पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में ₹10000 एवं वर्ष 2015-16 में ₹82110 के व्यय अनियमित थे। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त अवधि में किए गए अनियमित व्ययों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त नियमित करवाएँ।

6 पंचायत राजस्व ₹0.09 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर एवं शादी पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु ₹9000 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹9000 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	15950	7975	23925	0	23925
2015-16	23925	7975	31900	0	31900
2016-17	31900	15950	47850	39750	8100

2. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹800 की कम वसूली :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि नवम्बर माह में ग्राम पंचायत में कुल 4 विवाह पंजीकरण हुए थे जिसके अन्तर्गत ₹800 पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूल किए गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	नाम	पंजीकरण की दिनांक	पंजीकरण राशि
35	श्री अजय कुमार	05.11.16	200.00
36	श्री हरमीत शर्मा	05.11.16	200.00
37	श्री पंकज शर्मा	08.11.16	200.00
38	श्री प्रवीण कुमार	16.11.16	200.00

3. विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या- 41 की जांच में पाया कि श्री विपिन कुमार की शादी दिनांक 07.11.16 को हुई थी जबकि पंजीकरण दिनांक 18.01.17 को लगभग 2 माह पश्चात किया गया था। अतः नियमानुसार विवाह पंजीकरण फीस के रूप में ₹400- (विलम्ब शुल्क सहित) की वसूली के स्थान पर ₹300 की वसूली की गई थी। अतः ₹100 की वसूली करके दिनांक 09.10.17 को निधि खाता संख्या PNB-09075 में जमा कर दी गई है, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी।

4. भू- राजस्व की वसूली न करना :- पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

7 अनुदान ₹12.09 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹1209020 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.16 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹316095 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 ₹3.00 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹300175 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 निर्माण सामग्री का अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर क्रय करने के फलस्वरूप ₹0.05 लाख की हानि :-

1. जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में निर्माण सामग्री की दरों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 503 दिनांक 20.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 09.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में दरों का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था लेकिन इसके पश्चात दरों का अनुमोदन प्रस्ताव पारित करके ही किया जा रहा है। अतः भविष्य में भी दरों का अनुमोदन न्यूनतम दरों के आधार पर प्रस्ताव पारित करके ही करना सुनिश्चित करें।

2. (i) जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में बजरी की दर ₹900 प्रति ट्राली (60 क्यूबिक मीटर) एवं पत्थर की दर ₹1400 प्रति ट्राली (60 क्यूबिक मीटर) अनुमोदित की गई थी तथा वर्ष 2015-16 में बजरी क्रशर की दर ₹37 प्रति क्यूबिक मीटर अनुमोदित की गई थी, लेकिन चयनित माहों के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित वाउचरों में बजरी का क्रय ₹1300 प्रति ट्राली (60 क्यूबिक मीटर) एवं पत्थर का क्रय ₹2000 प्रति ट्राली (60 क्यूबिक मीटर) एवं वर्ष 2015-16 में बजरी का क्रय ₹38.50 प्रति क्यूबिक मीटर की दरों पर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंचायत को ₹4605 की हानि हुई थी :-

क्र०सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण एवं भुगतान की गई राशि	अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
	13th FC Cash Book				
1	21/1 दिनांक 03.11.14	Bill No. - Dated -, M/s Parveen Kumar	6 Trolly Aggregate @ ₹1300/-Per trolly = 7800/-	6 Trolly Aggregate @ ₹900/-Per trolly = 5400/-	2400/-
2	36 दिनांक 30.01.15	Bill No. - Dated -, M/s Parveen Kumar	3 Trolly Boulder @ ₹2000/-Per trolly = 6000/-	3 Trolly Boulder @ ₹1400/-Per trolly = 4200/-	1800/-
3	49 दिनांक 26.10.15	Bill No. 8 Dated 26.10.15, M/s Yudhvir Singh	270 CFT Aggregate (Crusher) @ ₹38.50/- Per CFT = 10395/-	270 CFT Aggregate (Crusher) @ ₹37/-Per CFT = 9990/-	405/-
	कुल अधिक भुगतान				4605

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 503 दिनांक 20.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 09.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान ₹4605 की वसूली करके दिनांक 09.10.17 को निधि खाता संख्या 09075 (PNB) में जमा कर दी गई, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाए एवं चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में अधिक दरों पर क्रय करने के फलस्वरूप पंचायत को हुई हानि की गणना अपने स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्रोत से करना सुनिश्चित करें।

- 11 ₹500 का अनियमित भुगतान :-** वाउचर संख्या 20 दिनांक 29.09.14 (13वें वित्त आयोग) की जांच में पाया कि मैसर्स शिवा ट्रेडर से बिल संख्या 11 दिनांक 08.09.14 द्वारा खेल सामग्री के क्रय के एवज में ₹55450 का भुगतान किया गया था। जांच में पाया कि उक्त बिल में 5 Elbow guard, Code- V0101003022 का क्रय ₹100 प्रति मात्रा की दर में किया गया था, जिसके लिए ₹500 देय थी, जबकि भुगतान ₹1000 का किया गया था अर्थात् उक्त बिल में ₹500 का अधिक भुगतान किया गया था। जिस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 503 दिनांक 20.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 09.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान ₹500 की वसूली रसीद संख्या 121242 दिनांक 09.10.17 द्वारा करके दिनांक 09.10.17 को निधि खाता संख्या 09075 (PNB) में जमा कर दी गई, जिसकी पुष्टि भी कर ली गई थी।
- 12 स्वीकृत राशि से अधिक व्यय करने पर ₹0.30 लाख की वसूली करने बारे :-**
जांच में पाया कि निर्माण कार्य “ नि. शमशान घाट वर्षाशालिका बुठवीं अग्निहोत्री “ के लिए पंचायत समिति भोरंज द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 27.02.15 पारित करके उक्त कार्य हेतु ₹70000 स्वीकृत एवं प्राप्त की गई थी, जबकि माप पुस्तिका 5870 के पृष्ठ 47-50 में उक्त कार्य की परिमाण की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि उक्त कार्य पर ₹100000 व्यय कर दी गई थी, अर्थात् ₹30000 का अधिक व्यय कर दिया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 503 दिनांक 20.09.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 09.10.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही कर ली जाएगी। अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।
- 13 खाता वहियाँ तैयार न करना :-**
पंचायती राज वित्त नियम 29(1) के अन्तर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी। परन्तु जांच में पाया कि पंचायत में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जिनके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अतः खाता वहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना सुनिश्चित करें।
- 14 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-**
हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
1. अनुदान रजिस्टर
 2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
 3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
 4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
 5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

17 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(6) 37/2017 खण्ड-1-1799-1802 दिनांक
13-03-2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत करहा, विकास खण्ड भोरन्ज, जिला हमीरपुर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881